

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 23

दिनांक: 3-1-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु श्री रक्षपाल स्वामी को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका, श्रीमाधोपुर जिला सीकर से देय होगा।

  
(उज्ज्वल शिंदे)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 24-30

दिनांक: 3-1-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
06. श्री रक्षपाल स्वामी, एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय नाथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी